<u>प्रतिवेद्य</u>

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय

दांडिक अपीलीय अधिकारिता

<u>दांडिक अपील संख्या- 1572/2019</u>

[विशेष अनुमति याचिका (दांडिक) संख्या-1420/2017 से उत्पन्न]

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ..अपीलार्थी

बनाम

अरविन्द खन्ना ...प्रत्यर्थी

<u>निर्णय</u>

<u>न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी</u>

1. अनुमति प्रदान की जाती है|

2. यह सिविल अपील केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (संक्षेप में 'सी.बी.आई') द्वारा, जाँच अधिकारी, सी.बी.आई/एस.पी.ई., ए.सी.पी., नई दिल्ली के माध्यम से आपराधिक एम.सी. संख्या 2784/2011 तथा एमसी संख्या 3342/2011 में नई दिल्ली स्थित दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 30.11.2015 को दिए गए साझा निर्णय तथा आदेश से व्यथित होकर दायर की गई है|

3. उक्त आपराधिक विविध मुक़दमे दंड प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में 'सी.आर.पी.सी.') की धारा 482 के अंतर्गत दायर किये गए| आपराधिक एमसी संख्या 2784/2011 द्वारा प्रत्यर्थी-याची ने प्राथमिकी संख्या आरसी-एसी- 1-2007-ए-0003 दिनांक

02.04.2007, आरोपपत्र दिनांक 13.12.2010 और अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी 01 (ए.सी.एम.एम) पटियाला हाउस न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 05.07.2011 को दिए आदेश को निरस्त करने की मांग की|

4. दिनांक 05.07.2011 के आदेश द्वारा अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी ने विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम 2010 (संक्षिप्त में एफसीआरए) की धारा 35, सहपठित धारा 3 के तहत अपराध का संज्ञान लिया और प्रत्यर्थी-याची को समन जारी किया| आपराधिक एमसी संख्या 3342/2011 द्वारा प्रत्यर्थी-याची ने दिनांक 20.08.2011 के आदेश को निरस्त करने की मांग की जिसे अपीलार्थी द्वारा दायर आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 02/2011 में माननीय पुनरीक्षण न्यायालय ने पारित किया था|

5. पुनरीक्षण याचिका को अनुमति प्रदान करते हुए दिनांक 05.07.2011 के आदेश को यह कहते हुए बदल दिया गया कि विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम 1976 (संक्षिप्त में एफसीआरए 1976) की धारा 23 सहपठित धारा 4 के तहत संज्ञान ले लिया गया है|

6. दंड संहिता प्रक्रिया की धारा 482 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त संयुक्त आदेश का प्रभावी भाग जैसा कि परिच्छेद 82 में मौजूद है निम्न प्रकार है:-

> उपर अंकित तथ्यों और और चर्चा की गई विधि के
> मद्देनज़र, मेरी राय है कि अभियोजन पक्ष द्वारा आरोप

पत्र के साथ अभिलेख पर प्रस्तुत की गई सामग्री याची के खिलाफ आरोप तय करने के लिए भी काफी नहीं है| इसलिए मैं उक्त प्राथमिकी के साथ उससे उत्पन्न होने वाली सभी कार्यवाहियों को निरस्त करता हूँ और भारत सरकार को एफसीआरए 2010 की धारा 41(1) के अंतर्गत याचिकाकर्ता के मुक़दमे को निपटाने की आज़ादी देता हूँ|

7. प्रत्यर्थी-याची दिनांक 24.02.2002 से 27.02.2007 तक पंजाब विधानसभा का (विधायक) सदस्य था.

8. उक्त अवधी के दौरान दिनांक 06.03.2002 से 04.03.2006 तक उन्हें जिन आठ विदेशी संस्थाओं से रुपये 9,04,84,770/- प्राप्त हुए उनमें से एक न्यू हेवन नोमिनीस नामक संस्था है | दूसरी सात संस्थाएं सीआई लॉ ट्रस्ट द्वारा संचालित होती हैं|

9. इस आधार पर कि एफसीआरए, 1976 के अंतर्गत प्रावधानों का उल्लंघन कर के प्रत्यर्थी-याची द्वारा विदेशी योगदान प्राप्त किया गया, अपीलार्थी ने दिनांक 02.04.2007 को एफसीआरए 1976 की धारा 23(1) की सहपठित धारा 4(1) के अंतर्गत प्राथमिकी संख्या RC-AC-1-2007-A-0003 में अपराध दर्ज किया|

10. प्रत्यर्थी-याची का तर्क यह था कि प्राप्त फंड्स उसके भारतीय पासपोर्ट धारी पिता श्री विपिन खन्ना की ओर से उपहार थे| उनकी दलील यह थी कि जो फंड्स भेजे गए वह उसके पिता श्री विपिन खन्ना की ओर से विदेशी संस्थाओं के पास थे| जाँच पूरी करने के बाद आरोप पत्र दायर किया गया और दिनांक 05.07.2011 के आदेश द्वारा एफ.सी.आर.ए. 2010 की धारा 35 सहपठित धारा 3 के अंतर्गत

अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी ने संज्ञान लिया था| जब एफसीआरए 1976 लागू था उसी समय अपराध को अंजाम दिया गया, अपीलार्थी -सीबीआई ने पुनरीक्षण न्यायलय अर्थात स्पेशल जज सीबीआई- 3, नई दिल्ली के समक्ष आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 2/2011 दायर की है| दिनांक 20.08.2011 के आदेश द्वारा पुनरीक्षण न्यायलय ने इस आधार पर कि विद्वान अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी ने कानून के ग़लत प्रावधान के अंतर्गत कार्रवाई कर के अधिकार क्षेत्र से सम्बंधित ग़लती की है, पुनरीक्षण याचिका को यह कहते हुए अनुमति दी कि एफसीआरए, 1976 की धारा 23 सहपठित धारा 4 के अंतर्गत संज्ञान लिया गया माना जाता है|

11. पुनरीक्षण न्यायलय द्वारा दिए गए इस प्रकार के आदेश का जहाँ तक सम्बन्ध है, प्रत्यर्थी-याची ने इस पर मात्र इस बुनियाद पर सवाल उठाया है कि उनको बिना नोटिस के उक्त आदेश दे दिया गया | साथ ही प्रत्यर्थी ने प्राथमिकी, आरोप पत्र और आगामी परिणामी आदेश को इस आधार पर निरस्त करने की मांग की कि जो राशि उसे प्राप्त हुई है वह उसके भारतीय पासपोर्ट धारी पिता श्री विपिन खन्ना की ओर से उपहार है | जो फंड्स भेजे गए वह उसके पिता की ओर से विदेशी संस्थाओं के पास थे | दिनांक 11.07.2006 को अपने पिता श्री विपिन खन्ना के बयान और दिनांक 13.04.2007 को न्यू हेवन नोमिनीस की ओर से जारी बयान पर प्रत्यर्थी ने यह कहते हुए भरोसा किया कि जो फंड्स भेजे गए वह

प्रत्यर्थी के पिता के नाम पर जमा फंड्स में से थे | यह भी तर्क दिया गया कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 147 के अंतर्गत कार्यवाहियों में दिनांक 11.12.2010 के आदेश द्वारा आयकर आधिकारियों ने उक्त रसीदों को उपहार के रूप में स्वीकार किया और आयकर अपीलीय अधिकरण ने आई.टी.ए. सं. 1915 से 1917/डी.ई.एल./2010 में पारित दिनांक 15.04.2014 के आदेश द्वारा इसकी पुष्टि की|

12. अपीलार्थी ने यूनाइटेड किंगडम से सबूत जमा करने के उद्देश्य से लेटर्स रोगेटरी (साक्ष्य हेतु प्रार्थना पत्र) जारी करने के लिए एक आवेदन दिया जिसे दिनांक 10.12.2007 के आदेश के ज़रिए विचारण न्यायालय ने अनुमति दे दी | हालाँकि उन्हें साक्ष्य के लिए प्रार्थनापत्र का केवल अंशतः/अधूरा निष्पादन प्राप्त हुआ लेकिन प्रत्यर्थी की दलील यह भी थी कि एफ.सी.आर.ए., 1976 निष्प्रभावी है और 01.05.2011 से एफ.सी.आर.ए., 2010 उसकी जगह ले चुका है तथा अब एफ.सी.आर.ए., 2010 की धारा 4 विदेशी योगदान की प्राप्ति से पहले केंद्र सरकार से अग्रिम अनुमति की आवश्यकता को ख़त्म कर देता है. यह भी दलील दी गई कि हालाँकि धारा 35 सहपठित धारा 3 एफ.सी.आर.ए., 2010 के अंतर्गत अपराध का संज्ञान लिया गया और प्रत्यर्थी को समन जारी किया गया लेकिन सीबीआई द्वारा दायर पुनरीक्षण पर उनको नोटिस दिए बिना उसे अनुमति दे दी गई|

13. एफसीआरए, 2010 के लागू होने के बाद, प्रत्यर्थी के खिलाफ आरोपित अपराध को अधिनियम की धारा 41 के अंतर्गत निपटाया जा सकता है, इस आधार पर प्रत्यर्थी ने अपराध के निपटारे की प्रार्थना करते हुए गृह मंत्रालय में दिनांक 04.06.2012 को आवेदन दिया | लेकिन गृह मंत्रालय ने दिनांक 28.04.2014 के आदेश के ज़रिये उसे रद्द कर दिया| उसके बाद प्रत्यर्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 1168/2014 दायर की और दिनांक 08.07.2014 के आदेश द्वारा उच्च न्यायलय ने याचिका को अनुमति दे दी तथा प्रत्यर्थी-याची को सुनने के बाद अधिकारीयों को नए सिरे से निर्णय लेने का आदेश दिया| उसके बाद कोई निर्णय नहीं हुआ|

14. उच्च न्यायलय के समक्ष प्रत्यर्थी द्वारा दायर निरस्तीकरण याचिका का अपीलार्थी ने यह कहते हुए विरोध किया कि दंड संहिता प्रक्रिया की धारा 482 के अंतर्गत प्रत्यर्थी द्वारा दायर याचिका सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि प्रथिमिकी तथा आरोप पत्र में लगाये गए आरोप प्रथम दृष्टया दर्शाते हैं कि अ पराध धारा 23 सहपठित धारा 4 एफ.सी.आर.ए. अधिनियम, 1976 के अंतर्गत हुआ | दिनांक 18.12.2006 के पत्र द्वारा गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अनुमति से प्राथमिकी दर्ज की गई जिसके ज़रिए केंद्र सरकार से अग्रिम अनुमति हासिल किये बिना 8 विदेशी कंपनियों से पंजाब के तत्कालीन विधायक-प्रत्यर्थी द्वारा 9.60 करोड़ की धन प्राप्ति की जाँच करने के लिए एफ.सी.आर.ए., 1976 की धारा 28 के अंतर्गत

अपीलार्थी-सीबीआई को अधिकार दिया गया | उच्च न्यायलय के समक्ष उनकी दलील यह थी कि दिनांक 01.05.2011 को एफ.सी.आर.ए., 2010 लागू होने से पहले आरोप पत्र दाखिल किया गया और उनकी ओर से यह भी तर्क दिया गया कि पुनरीक्षण न्यायलय ने उचित रूप से यह कहा है कि धारा 3 एफ.सी.आर.ए., 1976 की सहपठित धारा 24 के अंतर्गत संज्ञान लिया और प्रत्यर्थी को समन किया गया समझाता जाता है| यह स्पष्ट रूप से दलील दी गई कि एफ.सी.आर.ए., 2010 की धारा 41 का लाभ प्रत्यर्थी को नहीं मिल सकता क्योंकि यह एफ.सी.आर.ए., 2010 के अधिनियम के अंतर्गत किये गए अपराध के लिए ही उपयोगी है|

15. उच्च न्यायलय ने साझा आक्षेपित आदेश के परिच्छेद 60-62 में निम्न टिपण्णी की है|

> "60. यह स्वीकार कर लिया गया है कि विवादित राशि याची को उसके भारतीय पासपोर्ट धारी पिता श्री विपिन खन्ना की ओर से प्राप्त हुई है | जो फंड्स भेजे गए वह उसके पिता की ओर से विदेशी संस्थाओं के पास थे | इस संबंध में श्री विपिन खन्ना ने दिनांक 11.07.2006 को अपने एक बयान में कहा कि उनके निर्देश पर याची को ये फंड्स भेजे गए | इसके अतिरिक्त 13.04.2007 के अपने बयान में न्यू हेवन नोमिनीस ने कहा कि जो फंड्स उपहार के रूप में याची को भेजे गए वह प्रत्यर्थी के पिता के नाम पर उनके पास जमा फंड्स में से थे| इसके अलावा याची के भाई-बहन जिनके नाम श्री आदित्य खन्ना, श्री नवीन खन्ना तथा श्रीमती विनीता सिंह हैं, को भी उनके पिता श्री विपिन खन्ना द्वारा इस तरह के उपहार/फंड्स दिए गए | दिनांक

10.08.2007 को सीआई लॉ ट्रस्ट ने अपने बयान में पुष्टि की कि याची को जो फंड्स भेजे गए वो उनके पिता श्री विपिन खन्ना के नाम पर जमा राशी से उपहार के रूप में दिया गया. और बयान में यह भी कहा कि इस प्रकार के उपहार/फंड्स याची के उक्त भाई-बहन को भी उनके पिता ने दिया|

61. यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 147 के अंतर्गत कार्रवाई में आयकर आयुक्त (अपील्स) द्वारा दिनांक 11.12.2010 के आदेश के ज़रिए आयकर अधिकारीयों ने कहा कि उसी सीआई लॉ ट्रस्ट (पूर्व नाम वेस्ट वे) से याची को प्राप्त होने वाले इसी तरह के आय को याची के पिता द्वारा दिया गया उपहार माना गया था | आयकर अपीलीय अधिकरण ने आई.टी.ए. सं. 1915 से 1917/डी.एल.एल./2010 में दिनांक 15.04.2014 के आदेश द्वारा इसकी पुष्टि की|

62. यहाँ यह भी उल्लेख करना अहम है कि गृह मंत्रालय ने दिनांक 28.04.2014 के आदेश के ज़रिए याची के निपटारे के आवेदन को रद्द कर दिया | तदनुसार W.P (दांडिक) संख्या 1168/2014 द्वारा उक्त रद्दीकरण के आदेश को चुनौती दी जिसे दिनांक 08.07.2014 के आदेश के ज़रिए इस अदालत ने रद्द कर दिया और नए सिरे से याची की सुनवाई का निर्देश दिया|

इसलिए दिनांक 09.03.2015 को नए सिरे से सुनवाई हुई लेकिन आज तक मंत्रालय ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है|

16. आरंभ में एफसीआरए, 2010 के प्रावधानों के अंतर्गत विचारण न्यायलय द्वारा संज्ञान लिया गया | इससे व्यथित हो कर अपीलार्थी-सीबीआई ने पुनरीक्षण दायर किया| पुनरीक्षण प्राधिकरण ने दिनांक 20.08.2011 के आदेश के ज़रिए पुनरीक्षण को अनुमति दे दी | पुनरीक्षण प्राधिकरण ने दिनांक 20.08.2011 के अपने आदेश में टिपण्णी की कि विद्वान अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी ने

कानून के ग़लत प्रावधान के अंतर्गत कार्रवाई कर के अधिकार क्षेत्र से सम्बंधित ग़लती की है| पुनरीक्षण को मंज़ूर करते समय यह भी टिपण्णी की गई कि धारा 23 सहपठित धारा 4 एफसीआरए, 1976 के अंतर्गत संज्ञान लिया गया माना जाता है|

17. पुनरीक्षण प्राधिकरण के आदेश के बारे में मुख्य रूप से प्रत्यर्थी की शिकायत यह थी कि उन्हें नोटिस और अवसर दिए बिना ही पुनरीक्षण प्राधिकरण ने आदेश दे दिया.

18. अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राणा मुख़र्जी तथा प्रत्यर्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महेश जेठमलानी को हमने सुना और आक्षेपित आदेश तथा अभिलेख पर प्रस्तुत अन्य सामग्री को ध्यान पूर्वक पढ़ा|

19. आक्षेपित आदेश ध्यान पूर्वक पढने तथा दोनों पक्षों के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं की प्रस्तुतियों को सुनने के बाद हमारी राय है कि उच्च न्यायलय द्वार दिया गया आक्षेपित आदेश प्रमाणित करने योग्य नहीं है| दंड संहिता प्रक्रिया की धारा 482 के अंतर्गत याचिका में उच्च न्यायलय ने विभिन्न विवादित तथ्यों से संभंधित निष्कर्षों को दर्ज करके याचिका को अनुमति दी है| विचारण के दौरान साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के बाद अभियुक्त के बचाव को परखना होता है| उच्च न्यायलय इस मुक़दमे में अपीलार्थी-सीबीआई द्वारा लगाये गए आरोपों से संबंधित जानकारी और प्रत्यर्थी द्वारा पेश किये गए बचाव की तह तक पहुंचा| इस तथ्य से

हमें इस निष्कर्ष की ओर ले जाता है कि दंड संहिता प्रक्रिया की धारा 482 के अंतर्गत अपने निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायलय अपने अधिकार की सीमा पार कर चुका है|

20. जब सक्षम न्यायलय ने मामले का संज्ञान ले लिया हो ऐसे मोड़ पर उच्च न्यायलय द्वारा किया गया आंकलन हमारी राय में पूरी तरह ग़लत और अनावश्यक है|

21. आक्षेपित आदेश पढने से लगता है कि उच्च न्यायलय ने इस बुनियाद पर कार्रवाई की है कि अपीलार्थी ने अपने भारतीय पासपोर्ट धारी पिता श्री विपिन खन्ना की ओर से विदेशी योगदान की प्राप्ति को स्वीकार किया है| वास्तव में ऐसा नहीं है| अपीलार्थी-सीबीआई की दलील यह है कि सरकार की अनुमति के बिना विदेश की कई संस्थाओं से प्रत्यर्थी को विदेशी योगदान मिला है | वहीँ दूसरी ओर बचाव में प्रत्यर्थी का तर्क यह है कि उसे इस तरह के फंड्स उसके पिता श्री विपिन खन्ना की ओर से प्राप्त हुए हैं| दिनांक 11.07.2006 को श्री विपिन खन्ना द्वारा दिए गए कथित बयान और न्यू हेवन नोमिनीस नामक विदेशी संस्था द्वारा दिए गए एक बयान पर उच्च न्यायलय ने विचार किया है| प्रत्यर्थी का बचाव यह है कि उसे जो फंड्स भेजे गए वह प्रत्यर्थी के पिता श्री विपिन खन्ना की ओर से विदेशी संस्थाओं के पास जमा उपलब्ध फंड्स में से थे|

22. बचाव की यह सत्यता कि क्या प्रत्यर्थी को उसके पिता की ओर से राशि प्राप्त हुई या नहीं, एक गंभीर तथ्यात्मक विवाद है| यह स्वीकार किया गया पक्ष नहीं है जैसा कि उच्च न्यायलय ने दर्ज किया है | विचारण के दौरान साक्ष्यों के मूल्यांकन के बाद ही प्रत्यर्थी के बचाव की सत्यता में जाने वाला है | प्रत्यर्थी के पिता श्री विपिन खन्ना तथा विदेशी संस्था न्यू हेवन नोमिनीस के कथित बयानों को केवल संदर्भित करके प्रत्यर्थी के पक्ष में निष्कर्ष दर्ज करने में उच्च न्यायलय से ग़लती हुई है | उच्च न्यायलय ने यह टिपण्णी करने में भी ग़लती की कि,

अनन्तः भी, यह दर्शाने के लिए सामग्री है कि फंड्स वास्तव में प्रत्यर्थी के पिता की ओर से उपहार था और अभियोजन पक्ष ने न उक्त तथ्य को फर्जी बताया और न ही यह आरोप लगाया कि विवादित फंड्स प्रत्यर्थी के पिता के नहीं हैं | उच्च न्यायलय की उक्त टिपण्णी रिकॉर्ड के भी विपरीत है|

23. जब प्रत्यर्थी का मात्र बचाव यह है कि फंड्स उसके पिता की ओर से प्राप्त हुए, तो उस पर यह सिद्ध करने की ज़िम्मेदारी है कि इस तरह के फंड्स उसे उसके पिता की ओर से प्राप्त हुए और इसके लिए कोई अनुमति की दरकार नहीं थी| एफसीआरए, 1976 के अंतर्गत प्रावधानों की व्यावहारिकता के संबंध में भी विचारण के बाद ही निष्कर्षों को दर्ज किया जाता है|

24. अपनी दलील के समर्थन में प्रत्यर्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महेश जेठमलानी ने ***अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाम मणिलाल गोर्धनदास***

तथा अन्य के मुक़दमे में इस न्यायलय के निर्णय पर भरोसा किया . विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने ***मोहित उर्फ़ सोनू तथा एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य*** के मुक़दमे के निर्णय पर भी भरोसा किया | इस मुक़दमे में इस आधार पर समन जारी करने से सत्र न्यायलय ने इंकार कर दिया कि प्रथम दृष्टया कोई केस नहीं बनता और जब पुनर्विचार न्यायलय के समक्ष इस आदेश को चुनौती दी गई तो यह निर्णय दिया गया कि सुनवाई का अवसर देना पुनरीक्षण न्यायलय की ज़िम्मेदारी है जैसा कि दंड संहिता प्रक्रिया की धारा 4 की उपधारा 2 के अंतर्गत अपेक्षित है|

25. जहाँ तक पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा दिए गए आदेश का संबंध है अगर प्रत्यर्थी को नोटिस जारी किये बिना पुनरीक्षण न्यायलय कोई प्रतिकूल आदेश देता है तो उच्च न्यायलय निर्णय को निरस्त करके नए सिरे विचार के लिए वापस भेज सकता है लेकिन साथ ही पूरी तरह से पुनरीक्षण को अनुमति नहीं दे सकता|

26. उक्त कारणों से अपील मंज़ूर की जाती है, दिनांक 30.11.2015 के आक्षेपित साझा आदेश को निरस्त किया जाता है | विचारण न्यायलय ने जिस मोड़ पर कार्रवाई को छोड़ा था वहां से कार्रवाई कर सकता है तथा इस न्यायलय या उच्च न्यायलय द्वारा किसी भी निष्कर्ष और टिपण्णी से प्रभावित हुए बिना विधिनुसार उस पर निर्णय कर सकता है | आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 02/2011 में विशेष न्यायाधीश सीबीआई-03 नई दिल्ली द्वारा दिनांक 20.08.2011 को पारित

आदेश को हम रद्द करते हैं और प्रत्यर्थी को नोटिस जारी करने के बाद नए सिरे से विचार के लिए मामले को पुनरीक्षण न्यायलय के पास वापस भेजते हैं | प्रत्यर्थी किसी औपचारिक नोटिस की प्रतीक्षा किये बिना आज से चार सप्ताह की अवधी के भीतर पुनरीक्षण न्यायलय के समक्ष उपस्थित होगा | अतः पुनरीक्षण न्यायलय सुनवाई की नई तारीख तय कर सकता है और केस के गुणागुण के आधार पर उचित आदेश दे सकता है|

..... न्यायमूर्ति
[आर. भानुमथी]

..... न्यायमूर्ति
[आर. सुभाष रेड्डी]

नई दिल्ली
अक्टूबर 17, 2019

अस्वीकरण: *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सके एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी|*